न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 46/2019

महावीर सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, जाति राजपूत निवासी डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू

–रेस्पोडेंट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम महावीर सिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 31/2018 निर्णय दिनांक 30.01.2019

उपस्थितिः–

1 .श्री सतीश कुमार सैनी, एडवोकेट ––––– ––––– ––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ––––––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.10.2019

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.01.2019 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम महावीर सिंह मु0 नं0 31/2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– अपीलांट ने भूमि खसरा नंबर 2264/1491 रकबा 0.08 हैक्टर से अपना कब्जा हटा लिया है, अपीलांट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है।अदालत मातहत ने राजनैतिक प्रभाव में आकर अपीलांट को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अपीलांट ने तथाकथित भूमि पर अपना कब्जा पूव ही हटा लिया था। अपीलांट को द्वारा 24.7.2019 व 30.8.2019 को भी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन कर चुका है कि उसका उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलांट पेशकर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश योग्य अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी दिनांक 30.01.2019 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अपीलांट ने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है अब कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट सजा भी काट चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 30.01.2019 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अपील स्वीकार की जाती है तो राज्य सरकार को कोई एतराज नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसने विवादित भूमि खसरा नंबर 2264/1491 किस्म गै.मु. पहाड रकबा 0.08 हैक्टर से कब्जा हटा लिया है, अपीलांट का अब कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलांट सजा भी काट चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी को आदेशित किया जाता है कि शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करें कि क्या अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के मौके से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अगर मौके से अतिक्रमण हटाया जा चुका हो तो निर्णय दिनांक 30.01..2019 में अपीलांट की तीन माह की सिविल कारावास की सजा को अपीलांट द्वारा भुगती हुई सजा पर छोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। अगर मौके पर अब भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उस स्थिति में तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 30.01.2019 यथावत रहेगा। इसी आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति एवं प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू